



हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली के अवलोकन से वादी कई बार स्टाफ के
 लिये उपस्थित हुआ है परन्तु उससे जिरत नहीं हो
 पायी है ऐसी स्थिति में शर्कनामक शायीवादी द्वारा
 151 CPC लीकार किया जाता है डि० 30/8/17 को पारित
 स्टाफ वादी बन्द किया जाने का आदेश अपारस्त किया
 जाता है। पत्रावली वास्तु स्टाफवादी डि० 20/9/17 को
 पेश है। (4)

3/17

पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी उपस्थित नहीं।
 वकील प्रतिवादी उपस्थित। कई आवाज लगाई
 गई। वकील वादी के उपस्थित लेकर हिदायत
 पैर की प्राप्ति नहीं होना चाहिए किया। वादी व
 वकील वादी ने प्रकरण में उपस्थित नहीं होने से
 दावा वादी अदम हाजिरी अदम पैर की में रजार्ज
 किया जाता है। पत्रावली फेसल सुमाएल पर
 नम्बर से कम लेकर 200 दाखिल दफ्तर है।

हिदायत
 प्राप्त की
 है।
 20/9/17

उपखण्ड अधिकारी
 मण्डर (यल (करोली))